

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 03-01-2024

विषय-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजनान्तर्गत तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय में कुल मो० 227.96549 लाख (दो करोड़ सताईस लाख छियानबे हजार पाँच सौ उनचास) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना में माँग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय के तहत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" अंतर्गत कुल मो० 227.96549 लाख (दो करोड़ सताईस लाख छियानबे हजार पाँच सौ उनचास) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तावित निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के तहत निम्नरूप से है -

क्र०	प्रस्तावित निर्माण कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति राशि (रु० में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	स्थापना/ जिला
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	जिला मत्स्य कार्यालय एवं झील प्रक्षेत्र में सुरक्षा लाईट का कार्य	19,97,349 / -	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य अंचल, राँची के पत्रांक 4867 दिनांक 29.12.2022 को तकनीकी स्वीकृति।	हजारीबाग
2	झील मत्स्य प्रक्षेत्र पर चाहरदीवारी निर्माण कार्य	18,71,800 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 12.07.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	
3	झील मत्स्य प्रक्षेत्र नूरा के दक्षिण की ओर चाहरदीवारी निर्माण कार्य	23,23,100 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 12.07.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	
4	जिला मत्स्य कार्यालय परिसर स्थित तालाब को बोल्टर पिचिंग, दो फीट मिट्टी कटाई एवं दोनों तरफ गार्डवाल का कार्य एवं मेन रोड से कार्यालय तक 12 फीट का रास्ता एवं दोनों साईड गार्डवाल का कार्य	15,38,700 / -	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, डालटनगंज द्वारा दिनांक 29.11.2022 को तकनीकी स्वीकृति।	पलामू

5	जिला मत्स्य कार्यालय के पश्चिमी चाहरदीवारी निर्माण कार्य	8,12,400 / -	कार्यपालक अभियंता, रा0 ग्रा0 नि0 कार्य0, गोड्डा द्वारा दिनांक 20.11.2022 को तकनीकी स्वीकृति।	गोड्डा
6	जिला मत्स्य कार्यालय में डीप बोरिंग के साथ मोटरपंप का अधिष्ठापन कार्य	1,72,100 / -	कार्यपालक अभियंता, रा0 ग्रा0 नि0 कार्य0, गोड्डा द्वारा दिनांक 20.10.2022 को तकनीकी स्वीकृति।	गोड्डा
7	जिला मत्स्य कार्यालय के परिसर में पी0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	3,47,900 / -	कार्यपालक अभियंता, रा0 ग्रा0 नि0 कार्य0, गोड्डा द्वारा दिनांक 20.10.2022 को तकनीकी स्वीकृति।	गोड्डा
8	जिला मत्स्य कार्यालय के परिसर में स्टोर रुम का निर्माण कार्य	4,53,000 / -	कार्यपालक अभियंता, रा0 ग्रा0 नि0 कार्य0, गोड्डा द्वारा दिनांक 20.10.2022 को तकनीकी स्वीकृति।	गोड्डा
9	जिला मत्स्य कार्यालय में स्टोर रुम का निर्माण	3,45,900 / -	कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 वि0 विशेष प्रमंडल, कोडरमा द्वारा दिनांक 22.11.2022 को तकनीकी स्वीकृति।	कोडरमा
उप योग:		98,62,249 / -		
(ख)	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	Protection Work and Construction of Step in Stocking Pond No. 2 and 3 of Fisheries Department at Doranda	42,22,300 / -	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 16.08.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	राँची
2	Protection Work and Construction of Steps in Stocking Pond No. 4 of Fisheries Department at Doranda	45,11,900 / -	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 16.08.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	राँची
3	Protection Work of Rearing Pond No. 2, 3, 4 & 5 of Fisheries Department at Doranda	30,00,100 / -	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 16.08.2023 को तकनीकी स्वीकृति।	राँची
4	Indian Institute of Agricultural Biotechnology (IIAB) में बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन (7 tanks of 4m dia and 1.5 high)	6,00,000 / -	एन0एफ0डी0बी0 हैदराबाद के पत्रांक NFDB-PMMSY GEN/20-21 दिनांक 27.11.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये इकाई लागत विवरणी के अधीन अधिष्ठापन कार्य किया जाएगा।	गुमला
5	मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, गुमला में बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन (7 tanks of 4m dia and 1.5 high)	6,00,000 / -	एन0एफ0डी0बी0 हैदराबाद के पत्रांक NFDB-PMMSY GEN/20-21 दिनांक 27.11.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये इकाई लागत विवरणी के अधीन अधिष्ठापन कार्य किया जाएगा।	गुमला
उप योग:		1,29,34,300 / -		
कुल योग:		2,27,96,549 / -		

* नोट - हजारीबाग जिला मत्स्य कार्यालय एवं झील प्रक्षेत्र में सुरक्षा लाईट का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यादेश सं0 52 रा0 (वि0) दिनांक 25.03.2023 द्वारा मो0 19,97,349/- रु0 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटित। किन्तु कतिपय कारणों से कोषागार से राशि की निकासी नहीं होने के कारण जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक 370 दिनांक 15.04.2023 द्वारा राशि प्रत्यार्पित। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्माण मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन राशि का व्यय किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है:

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-4405-मछली-पालन पर पूँजीगत परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क्र०	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	शेष बजट उपबंध
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-72-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना - विस्तृत शीर्ष - 05 - निर्माण - 45 -निर्माण कार्य 53S44050010172010545	225.00	98.62249	126.37751
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-72- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079672010545	250.00	129.343	120.657
कुल योग :		475.00	227.96549	247.03451

मो0 227.96549 लाख (दो करोड़ सताईस लाख छियानबे हजार पाँच सौ उनचास) रू० मात्र।

4. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत उपबंधित राशि के अधीन ही उपरोक्त अंकित कंडिका '2' के लिए राशि का व्यय लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में ही किया जायेगा।

5. (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग/पलामू/गोड्डा/राँची तथा गुमला एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, कोडरमा होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कंडिका '2' के क्रम सं0-(क)-1 तथा क्रम सं0-(ख)-4 एवं 5 को छोड़कर शेष के लिए वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

कंडिका '2' के क्रम सं0-(क)-1 में उल्लेखित कार्य हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची को पुस्त हस्तांतरण/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

कंडिका 2 के क्रम सं0 (ख)-4 एवं 5 में उल्लेखित कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची एवं गुमला होंगे जिनके द्वारा एन0एफ0डी0बी0, हैदराबाद द्वारा निर्धारित मानकों के तहत ही बायोफ्लॉक (7 tanks of 4m dia and 1.5 high) का अधिष्ठापन कार्य किया जाएगा।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0 दिनांक 15.07.2003 एवं पत्रांक-533/वि0 दिनांक 03.03.2004 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

3/4/23

107

7. निर्माण/विद्युत कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं निर्माण/विद्युत कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग/विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।
8. स्वीकृत सभी योजनाओं को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से छः माह की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं/विद्युत कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप कराने के साथ-साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण कार्यों का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।
10. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।
11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
12. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो।
13. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
14. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर० -01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 एवं सी०एस०-01/आर०-04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
15. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट उपबंध मो० 4000.00 लाख रु० (संशोधित बजट उपबंध मो० 3730.00 लाख रु० - मुख्य शीर्ष-2405 एवं 4405 सहित) मात्र में से मो० 3265.25841 लाख रु० मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
18. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

अबुबकर सिद्दीख

ज्ञापांक 32 रा (क्र)/राँची, दिनांक 03.01.2024

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक 32 रा (क्र)/राँची, दिनांक 03.01.2024

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल/ योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

उपायुक्त राँची